न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 53/20 GCMS id : 2020/00086

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. केशर उर्फ केशरीलाल, जाति मेघवंशी
2. अनसूया पुत्री स्व. केशर उर्फ केशरीलाल, जाति मेघवंशी

निवासीगण ग्राम भीमपुरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. देवकरण पुत्र स्व. केशर उर्फ केशरीलाल, जाति मेघवंशी
2. भेरी बाई पत्नी स्व. केशर उर्फ केशरीलाल, जाति मेघवंशी
   निवासीगण ग्राम भीमपुरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा
3. रमेश पुत्र मदनलाल, जाति हरिजन, निवासी सन्तोषी नगर, कोटा
4. बंशीलाल पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 91, 92
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक : 22.02.2021

उपस्थिति : श्री मोहम्मद युनुस, अभिभाषक वादीगण
श्री दयाराम सेन, अभिभाषक प्रतिवादीगण 1, 2 व 4

1- वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91, 92 बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया गया।

2- वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

* ग्राम रामराजपुरा, पटवार हल्का मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 1017 रकबा 2.46 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1022, 1023 कुल किता 2 रकबा 1.05 हैक्टर आराजी स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। पक्षकारान में भूमि के बाबत कोई विवाद नहीं है।
* वादी क्रम–1 के बचपन का बोलता नाम पप्पू तथा वादिनी क्रम–2 के बचपन का बोलता नाम अनाई बाई था। उपरोक्त वादीगण के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त जो इन्तकाल खोला गया, उसमें वादीगण के बचपन का बोलता नाम ही दर्ज कर दिया जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज पप्पू का असली नाम राजेन्द्र कुमार तथा अनार बाई का असली नाम अनसूया बाई है। वादीगण के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य कागज उनके असली नाम से ही बने हुये है।
* इस प्रकार वादीगण के दस्तावेजात में उनका असली नाम दर्ज होने तथा राजस्व अभिलेख में उनका बोलता नाम दर्ज होने के कारण सरकारी व अर्द्धसरकारी

RajendraKumar.Devkaran

कार्यालयों में कार्यवाही करने व अन्य सुविधायें प्राप्त करने में काफी परेशानी आती है तथा उनको कहीं से भी कोई परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

* वादीगण राजस्व रिकार्ड की उपरोक्त जमाबन्दियों में अपना नाम पप्पू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार तथा अनार बाई के स्थान पर अनसूया बाई दर्ज करवाना चाहता है।

* राजस्थान सरकार भू–धारी के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है, मात्र रिकार्ड में नाम दुरूस्ती करवाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09.07.2020 को राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलक्टर, कोटा को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का नोटिस प्रेषित करवाया। उक्त नोटिस की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी उक्त त्रुटि को दुरूस्त नहीं किया गया है। इस कारण उक्त वाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

* वाद कारण दिनांक 09.07.2020 को भू–धारी को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत नोटिस दिये जाने तथा नोटिस की अवधि 09.09.2020 को पूर्ण होने के पश्चात भी उक्त त्रुटि दुरूस्त नहीं करने, वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं करने पर उत्पन्न हुआ, जो लगातार है।

* वाद उचित कोर्ट फीस पर है जिसका श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्ययालय को प्राप्त है।

* अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि ग्राम रामराजपुरा, पटवार हल्का मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1017 रकबा 2.46 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1022, 1023 कुल किता 2 रकबा 1.05 हैक्टर में पप्पू पुत्र केशर के स्थान पर राजेन्द्र कुमार तथा अनार बाई पुत्री केशर के स्थान पर अनसूया पुत्री केशर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती तथा तदनुसार ही अमल दरामद किये जाने के के आदेश प्रदान करावें। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नानुसार दस्तावेजात पेश किये गये –

प्रदर्श–1 : ग्राम रामराजपुरा की नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073 खसरा नम्बर 1017 रकबा 2.46 हैक्टर।

प्रदर्श–2 : ग्राम रामराजपुरा की नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073 खसरा नम्बर 1022, 1023 रकबा 1.05 हैक्टर।

प्रदर्श–3ए : वादिनी क्रम–2 का आधार कार्ड नम्बर 7804–3834–4850 की स्वप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श–4ए : वादी क्रम–1 के आधार कार्ड नम्बर 3474–4220–8467 की स्वप्रमाणित प्रति।

प्रदर्श–5 : सरपंच, ग्राम पंचायत मूण्डला, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा द्वारा वादी क्रम–1 का नाम पप्पू उर्फ राजेन्द्र पुत्र केशरीलाल तथा वादिनी क्रम–2 का नाम अनार बाई उर्फ अनसूया बाई पुत्री केशरीलाल होना, तस्दीक प्रमाणित किया है, की प्रति।

प्रदर्श–6 : श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, कोटा को भिजवाये गये नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जाप्ता दीवानी, दिनांक 09.07.2020

3- वादीगण की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने तथा उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तु होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियमानुसार तलबी सम्मन जारी किये गये। जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4 की ओर से उपस्थिति दी गई। प्रतिवादी क्रम 3 की, जर्ये रजिस्टर्ड डाक तलबी भिजवाने तथा Track Report में Item Delivery Confirmed प्राप्त होने के उपरान्त उपस्थिति का अवसर दिये जाने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम–3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4- प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4 की ओर से जवाब दावा पेश कर वादपत्र के कथनों को स्वीकार करते हुये निवेदन किया कि उक्त वाद में वादीगण का नाम वाद में वर्णितानुसार सही करने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वाद में वर्णितानुसार वादी पप्पू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार तथा वादिनी नं. का नाम अनार बाई के स्थान पर अनसूया दर्ज कर दिया जावे क्योंकि उनका सही नाम इसी प्रकार है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री करने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद उक्तानुसार निस्तारण किया जावे।

5- प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में सहवन से वादी क्रम–1 का नाम राजेन्द्र कुमार के स्थाप पर पप्पू तथा वादिनी क्रम–2 का नाम अनसूया बाई के स्थान पर अनार बाई दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर पप्पू के स्थान पर वादी क्रम–1 राजेन्द्र कुमार का नाम तथा अनार बाई के स्थान पर वादिनी क्रम–2 अनसूया बाई का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान कराये जावे। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादी द्वारा चाही गई नाम की दुरूस्ती किये जाने में कोई अपत्ति नहीं होने का निवेदन किया गया।

6- हमने उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी के किसी हिस्से अथवा रकबे से सम्बन्धित कोई भी विवाद नहीं है। वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से प्रतिवादीगण के हिस्से आदि में किसी भी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो रहा है। विवादित आराजी संयुक्त खाते की आराजी है जिसमें सभी खातेदारान का हिस्सा दर्ज है तथा वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से प्रतिवादीगण के हिस्से आदि में किसी भी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, आज के इस तकनीकी युग में भी, राजस्व अभिलेख में केवल अपने नाम की दुरूस्ती के कारण किसी भी कृषक का अनावश्यक रूप से मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान होना कितना बड़ा दुर्भाग्य–पूर्ण है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार

पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम रामराजपुरा, पटवार हल्का मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1017 रकबा 2.46 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1022, 1023 कुल किता 2 रकबा 1.05 हैक्टर के राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) में पप्पू पुत्र केशर के स्थान पर पप्पू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र केशर तथा अनार बाई पुत्री केशर के स्थान पर अनार बाई उर्फ अनसूया पुत्री केशर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

8- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.), कोटा

RajendraKumar/Devkaran

1— यह कि वादीगण पप्पू जिसका सही नाम राजेन्द्र कुमार एवम

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – बालकृष्ण तिवारी, R.A.S.

बउनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. केशर उर्फ केशरीलाल, जाति मेघवंशी
2. अनसूया पुत्री स्व. केशर उर्फ केशरीलाल, जाति मेघवंशी

निवासीगण ग्राम भीमपुरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा (वादीगण)

बनाम

1. देवकरण पुत्र स्व. केशर उर्फ केशरीलाल, जाति मेघवंशी
2. भेरी बाई पत्नी स्व. केशर उर्फ केशरीलाल, जाति मेघवंशी
   निवासीगण ग्राम भीमपुरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा
3. रमेश पुत्र मदनलाल, जाति हरिजन, निवासी सन्तोषी नगर, कोटा
4. बंशीलाल पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 91, 92 RTA
मुकदमा नम्बर : 53 / 20 GCMS id : 2020 / 00086
निर्णय दिनांक : 22-02-2021

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री मोहम्मद युनुस तथा प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4 की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक श्री दयाराम सेन की उपस्थिति में वादपत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 22–02–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम रामराजपुरा, पटवार हल्का मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1017 रकबा 2.46 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1022, 1023 कुल किता 2 रकबा 1.05 हैक्टर के राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) में पप्पू पुत्र केशर के स्थान पर पप्पू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र केशर तथा अनार बाई पुत्री केशर के स्थान पर अनार बाई उर्फ अनसूया पुत्री केशर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह प्राथमिक डिक्री आज तारीख 22.02.2021 को जारी की गई।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रुपया	प्रतिवादी		रुपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शों के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	……… रुपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	